



कमिश्नरेट वाराणसी



प्रेस नोट


दिनांक- 02-12-2025

“ऑपरेशन कनविक्शन”

थाना- जंसा

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय ASJ-07/पाक्सो एक्ट-। वाराणसी द्वारा अभियुक्त सुकर्खु उर्फ श्याम सुन्दर को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना जंसा में पंजीकृत मु0अ0सं0 0132/2023 धारा 363,376(B),377 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट में आज दिनांक 02.12.2025 को मा0 न्यायालय ASJ-07/पाक्सो एक्ट-। वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुकर्खु उर्फ श्याम सुन्दर पुत्र मगरु निवासी ग्राम तिवारीपुर थाना जंसा वाराणसी को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



श्री आदित्य नारायण सिंह
विशेष लोक अभियोजक,
वाराणसी



निरीक्षक राकेश पाल,
विवेचक



का0 रंजीत कुमार,
पैरोकार थाना जंसा



म0का0 नेहा त्रिपाठी,
कोर्ट मोहर्रिर